मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 06 सितम्बर 2013-भाद्र 15, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

मैसर्स रामकुंअर कंस्ट्रक्सन रहली के पार्टनर स्व. संतोष अग्रवाल, पता सिविल लाईन 5, सागर का देहांत 18 दिसम्बर, 2012 को हो गया है. फर्म में नये पार्टनर श्रीमति श्रद्धा हजारी पिता शंकरालाल तिवारी, पता मुख्य मार्ग, वार्ड 15, रहली, जिला सागर, मध्यप्रदेश 470227 हो रहे है.

यदि किसी व्यक्ति को फर्म से कोई लेन-देन या नए पार्टनर के सम्मिलित होने से कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर सूचित करें. इसके पश्चात् किसी प्रकार की दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही यह विधिमान्य होगी.

M/s Ram Kunvar Construction,
Rehli, Distt. Sagar (M.P.)
SAMEER HAZARI,
Partner.

(308-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अर्पण टेक एसोसियेट्स पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर 'श्री रमेन कुमार मुखर्जी' आत्मज श्री एस. के. मुखर्जी, निवासी रचना नगर भोपाल (मध्यप्रदेश) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से स्वेच्छा से अलग हो चुके हैं एवं फर्म में उपरोक्त दिनांक से निम्नानुसार भागीदार सम्मिलित हुये हैं. श्री भूपेन्द्र कुमार पटेल आत्मज महीदास पटेल, निवासी 4/14, कोडियार नगर, नवरंग स्कूल ओढ़व, अहमदाबाद (गुजरात).

अत: सूचित हो.

एस. एम. नसरत,
(पार्टनर)
191-B, मानस परिसर जोन-I,
एम. पी. नगर भोपाल (म.प्र.).

(311-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भरत इन्टरप्राईजेज में भागीदार श्री राजेन्द्र राय पुत्र श्री बैजनाथ राय, निवासी एच-1, माधव नगर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 05 मार्च, 2013 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 05 मार्च, 2013 से श्रीमती कल्पना गर्ग पत्नि श्री मुकेश गर्ग फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं तथा फर्म के कारोबार स्थान भी दिनांक 05 मार्च, 2013 से 63, श्रीराम कॉलोनी, झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन स्थान द्वारा-श्री एच. पी. अग्रवाल, 36, संजय काम्पलेक्स, लश्कर, ग्वालियर में परिवर्तित किया जा रहा है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म मैसर्स-भरत इन्टरप्राईजेज
मुकेश गर्ग,
पार्टनर,
63, श्रीराम कॉलोनी, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(312-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को मेरे पक्षकार मेसर्स श्री आदिनाथ डेव्लपर्स की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा फर्म के द्वारा फर्म में दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को विलेख निष्पादित कर श्री विनिराज मोदी आत्मज वी. के. जैन, निवासी 276, रचना नगर भोपाल, सुशील कुमार अग्रवाल आत्मज स्व. श्री पी. डी. अग्रवाल, निवासी 143, 144 इण्डस इंपायर त्रिलंगा, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, रजनीत जैन आत्मज डी. सी. जैन, निवासी 975, अक्षय बर्द्धमान टावर नेपियर टाउन जबलपुर, नीरज वी. मेकर आ. भारत भूषण मेकर, निवासी ई 3/156, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मिनिराज मोदी आत्मज वी. के. जैन, 267, रचना नगर, भोपाल, नितिन जैन आत्मज डी. सी. जैन, निवासी 975, अक्षय बर्द्धमान टावर नेपियर टाउन, जबलपुर, अपूर्व सिंघई आत्मज राकेश सिंघई, निवासी 35, आदर्श नगर, नर्बदा रोड, जबलपुर, म. प्र. को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. अब उपरोक्त सभी व्यक्ति ऊपर वर्णित दिनांक से फर्म के साझेदार हैं. इस प्रकार साझेदारी विलेख के अनुसार मेरी पक्षकारा फर्म के साझेदारी की संख्या 16 हो गयी है. उपरोक्त आम सूचना फर्म में सम्मिलित किये गये हैं. इस प्रकार उपरोक्त सभी इस फर्म के अधीन कार्य करने तथा विलेख की शर्तें मानने के लिये पाबंद है.

प्रतीक कोचर,
अधिवक्ता,
कोचर ला चैम्बर,
बी-78, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म. प्र.).

(313-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. पाटनी जैन एण्ड कम्पनी, गोलगंज, छिंदबाड़ा, पंजीयन क्रमांक 2050/1986-87, दिनांक 18-02-1987 की भागीदारी संरचना में परिवर्तन हुआ है जिसके अनुसार भागीदार श्री ललित कुमार पाटनी का स्वर्गवास दिनांक 19-08-2011 को हो गया है. इससे वे फर्म के भागीदारी से अलग हो गये हैं. तत्पश्चात् उनके पुत्र एवं विधिक उत्तराधिकारी श्रेय पाटनी, एच. यू. एफ. द्वारा फर्म की भागीदारी में शामिल होने की इच्छा जाहिर किये जाने से दिनांक 20 अगस्त, 2011 से शामिल किया गया है. सम्बन्धित सभी नोट करें.

प्रवीन कुमार जैन,
भागीदार.

(314-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. पाटनी एण्ड जैन कम्पनी, गोलगंज, छिंदबाड़ा के भागीदार श्री हेमेन्द्र कुमार पाटनी श्री प्रफुल्ल कुमार जैन, श्री विज्ञात राज पाटनी एवं श्रीमति लता पाटनी दिनांक 31-03-2010 से फर्म की भागीदारी से अलग हो गये हैं. अत: दिनांक 31-03-2010 के पश्चात् भागीदारी फर्म से अलग हुये उक्त भागीदारों का दिनांक 01-04-2010 से फर्म के किसी भी लेन अथवा देन की कोई जवाबदारी नहीं रही है एवं उन्हें अब इस फर्म से किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहा है एवं उक्त फर्म का पुनर्गठन भागीदार ललित कुमार पाटनी एवं प्रवीण कुमार जैन के द्वारा दिनांक 01-04-2010 से कर लिया गया है. अत: 01-04-2010 के पश्चात् पुनर्गठित फर्म मे. पाटनी एण्ड जैन कम्पनी के सभी प्रकार के व्यवहारों के लिये ये ही भागीदार अधिकारी एवं उत्तरदायी होंगे. तद्नुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

मे. पाटनी एण्ड जैन कम्पनी
प्रवीण कुमार जैन,
पार्टनर.

(315-बी.)

जाहिर सूचना

(मेसर्स रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र (पेट्रोल पंप), उदयपुरा, जिला रायसेन की पार्टनरशिप विघटन के संबंध में जाहिर सूचना)

यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रहलाद सिंह रघुवंशी आ. स्व. श्री बारे वीर सिंह रघुवंशी, निवासी उदयपुरा, जिला रायसेन एवं श्री सतीश कुमार कारोन्डे आ. स्व. श्री विनायक राव कारोन्डे, निवासी ई-2/22, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के मध्य एक पार्टनरशिप फर्म "मेसर्स रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र" की स्थापना दिनांक 10-04-2001 को पेट्रोप पंप के व्यवसाय हेतु की गई थी, जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ फमर्स, भोपाल के यहां इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-58 (1) के अंतर्गत दिनांक 24-04-2001 को पंजीबद्ध है, जिसका पंजीयन क्र. 10 है.

यहकि उक्त पार्टनरशिप फर्म का विघटन दिनांक 14-07-2013 को भोपाल में हो गया है, जिसकी विघटन पत्र का निष्पादन दिनांक 14-07-2013 को दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जा चुका है. उक्त विघटन के पश्चात् उपरोक्त वर्णित फर्म "मेसर्स रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र" (पेट्रोल पंप), उदयपुरा, जिला रायसेन की पार्टनरशिप समाप्त हो गयी तथा उक्त दिनांक से उक्त फर्म पार्टनरशिप से परिवर्तित होकर प्रोपरायटरशिप फर्म में परिवर्तित हो गई तथा जिसके प्रोपरायटर श्री सतीश कुमार कारोन्डे आ. स्व. श्री विनायक राव कारोन्डे, निवासी ई-2/22, अरेरा कॉलोनी, भोपाल हो गये हैं.

दिनांक 14-07-2013 से उक्त फर्म के सभी दायित्वों के लिए सतीश कुमार कारोन्डे उत्तरदायी रहेंगे तथा आगामी सभी कार्यों का निर्वहन सतीश कुमार कारोन्डे के द्वारा किया जावेगा.

मेसर्स रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र (पेट्रोल पंप),
उदयपुरा, जिला रायसेन
सतीश कुमार कारोन्डे,
प्रोपरायटर.

(317-बी.)

जाहिर सूचना

यहकि मैसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन, 228, विद्यापति नगर, नानाखेडा, उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00077/12, सन् 2011-12 में दिनांक 01-12-2011 को शिखा जैन पिता श्री लालचन्द्र जैन, निवासी 31, अंकपात मार्ग, उज्जैन द्वारा बतौर साझेदार सम्मिलित हुये हैं तथा श्रीमती ऊषा जैन पत्नी श्री लालचन्द्र जैन तथा श्रीमती अमिता मेहता पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह मेहता निवासीगण 31, अंकपात मार्ग, उज्जैन द्वारा उपरोक्त फर्म से अपना त्याग-पत्र दिया गया है. नवीन साझेदार- 1. नगेन्द्र सिंह मेहता पिता श्री चतर सिंह मेहता, निवासी 31, अंकपात मार्ग, उज्जैन, 2. सादिक हुसैन देवासवाला पिता श्री कुतुबुद्दीन, निवासी 232, नजमी मौहल्ला, कमरी मार्ग, उज्जैन तथा 3. शिखा जैन पिता श्री लालचन्द्र जैन, निवासी 31, अंकपात मार्ग, उज्जैन द्वारा नवीन भागीदारी पत्रक निष्पादित किया जाकर फर्म में संशोधन हेतु आवेदन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एण्ड सोसायटीज में प्रस्तुत किया जा रहा है. यदि किसी भी पक्ष को उक्त संशोधन करने में कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 कार्य दिवस में अपनी आपत्ति श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय फर्म एवं सोसायटीज को प्रस्तुत कर सकते हैं.

सादिक हुसैन देवासवाला,
मैसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन,
228, विद्यापति नगर, नानाखेडा, उज्जैन.

(318-बी.)

उप नाम परिवर्तन

अभी तक मैं श्रीमति रश्मि गावडे के नाम से जानी जाती हूँ, पर अब नाम बदलने पर मुझे श्रीमति रश्मि अग्रवाल के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(रश्मि गावडे)

नया नाम :
(रश्मि अग्रवाल)
अग्रवाल पब्लिक स्कूल कैम्पस,
101, टीचर्स क्वार्ट, बिचौली
मर्दाना रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(309-बी.)

CHANGE OF NAME

I, NAND KISHORE BAGHEL, Son of RAM SINGH BAGHEL, changed my name dated 25-09-2001. I shall henceforth be known as KISHORE KUMAR BAGHEL, son of RAM SINGH BAGHEL for all legal and practical purposes.

Old Name :
(NAND KISHORE BAGHEL)

New Name :
(KISHORE KUMAR BAGHEL)
C/o Jayprakash Pandey,
House No. 13-14, New Sheetal Nagar,
Near Vijay Nagar Telephone Exchange,
A. B. Road, Indore (M. P.).

(310-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विनोद खेडिया (VINOD KHEDIA) था जिससे परिवर्तित कर मेरा नया नाम विनोद कुमार खेडिया (VINOD KUMAR KHEDIA) कर लिया है. अत: मुझे अपने नये नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(विनोद खेडिया)
(VINOD KHEDIA)

नया नाम :

(विनोद कुमार खेडिया)
(VINOD KUMAR KHEDIA)
खेडिया भवन, ग्राम व पोस्ट-बिजुरी,
जिला-अनूपपुर, म. प्र.

(316-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 16 अगस्त, 2013

खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012 (परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013) परीक्षा परिणाम

साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर, 2013 है एवं साक्षात्कार दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 से होंगे.

वि. क्र. 406/18/2013/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-04/परीक्षा/2012/17 दिसम्बर, 2012, ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2013 तक, पद वृद्धि नवीन आवेदन आमंत्रण दिनांक 06 मई, 2013 से 15 मई, 2013 तक परीक्षा तिथि दिनांक 30 जून, 2013 की सूचना, त्रुटि सुधार अवधि 10 मई, 2013 से 17 मई, 2013, ऑनलाईन प्रवेश-पत्र प्राप्त होने की अवधि दिनांक 08 जून, 2013 से 28 जून, 2013 तक, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तक के अंतर्गत खनि निरीक्षक के अस्थायी 65 पदों हेतु खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 406/18/2013/अनु.-10, दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा ''रोजगार और निर्माण'' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में कुल 2785 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 1699 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 188 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-89, अनुसूचित जाति-26, अनुसूचित जनजाति-45 व अन्य पिछड़ा वर्ग-28 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-57, विकलांग-08, समान अंक-03 है एवं विकलांग श्रेणी के 10 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रामाणिक मानी जाएगी.

2. खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.com** एवं **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 10 सितम्बर, 2013 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 से आयोजित होंगे.

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

मधु खरे,
सचिव.

(436)

इन्दौर, दिनांक 16 अगस्त, 2013

खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012 (परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013) परीक्षा परिणाम

साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर, 2013 है एवं साक्षात्कार दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 से होंगे.

वि. क्र. 406/18/2013/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-04/परीक्षा/2012/17 दिसम्बर, 2012 ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2013 तक, पद वृद्धि नवीन आवेदन आमंत्रण दिनांक 06 मई, 2013 से 15 मई, 2013 तक परीक्षा तिथि दिनांक 30 जून, 2013 की सूचना, त्रुटि सुधार अवधि 10 मई, 2013 से 17 मई, 2013, ऑनलाईन प्रवेश-पत्र प्राप्त होने की अवधि दिनांक 08 जून, 2013 से 28 जून, 2013 तक, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तक के अंतर्गत खनि निरीक्षक के अस्थायी 65 पदों हेतु खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 406/18/2013/अनु.-10, दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा ''रोजगार और निर्माण'' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में कुल 2785 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 1699 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 188 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-89, अनुसूचित जाति-26, अनुसूचित जनजाति-45 व अन्य पिछड़ा वर्ग-28 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-57, विकलांग-08, समान अंक-03 है एवं विकलांग श्रेणी के 10 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रामाणिक मानी जाएगी.

2. खनि निरीक्षक लिखित परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 30 जून, 2013 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.com** एवं **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 10 सितम्बर, 2013 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 से आयोजित होंगे.

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है. परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

MINING INSPECTOR EXAMINATION, 2012 EXAM RESULT

ROLL No. WISE LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	100032	SHOHAB RIZWAN KHAN	
2.	100038	SWATI NAMDEO	
3.	100067	TRILOK SINGH PATLE	PH
4.	100103	ARVIND KUMAR TAMRAKAR	
5.	100119	KISHOR KUMAR ASATI	
6.	100141	PRAMOD BARVE	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
7.	100152	MUKESH KUMAR S1NGH	PH
8.	100157	PANKAJ DHWAJ MISHRA	
9.	100194	VIVEKANAND YADAV	
10.	100212	DEBI PRASAD CHAKRABORTY	
11.	100216	VIJAY DIVAKAR	
12.	100228	RAKESH KUMAR DESHMUKH	
13.	100234	GHANSHYAM SINGH YADAV	
14.	100243	SHIVPAL SINGH CHOUDHARY	
15.	100247	SHAILESH BISEN	
16.	100251	VIRENDRA VASHISHTHA	
17.	100252	PRAKASH CHANDRA DIXIT	
18.	100256	VIRENDRA KUMAR PATLE	
19.	100262	KALAM SINGH VASUNIYA	
20.	100272	ANUPAMA SINGH	
21.	100302	BASANT KUMAR PATIL	
22.	100326	BRAJBHAN SINGH KUSHWAH	
23.	100332	SNEHLATA MAHOBIA	
24.	100354	SHAKUNTALA XAXA	
25.	100384	REETA GOND	
26.	100397	MESHA KAIN	
27.	100407	RANJANA VYAS	
28.	100425	ASHOK BAGDE	
29.	100431	RAKESH KUMAR NAGESHWAR	
30.	100443	PUSHPENDRA KUMAR TRIPATHI	
31.	100466	MAHENDRA MASRAM	
32.	100480	PANKAJ SINGH BAGHEL	
33.	100482	SUNIT RAJPUT	
34.	100487	SANJAY PATNI	
35.	100489	JITENDRA SHARMA	
36.	100500	RAMESHWAR KANEL	
37.	100518	AARTI CHOUDHARY	
38.	100520	NUTAN JAIN	
39.	100527	PRABHA SHARMA	
40.	100530	VIRENDRA VERMA	
41.	100536	DEEPAK SOLANKI	
42.	100539	P CHANAIYA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
43.	100540	VIDYAKANT TIWARI	
44.	100543	ABHISHEK PATLE	
45.	100554	SURENDRA SINGH RATHOR	
46.	100558	KAMLESH MOHARE	PH
47.	100559	SURENDRA KUMAR PATLE	
48.	100591	SHIV KUMAR BHALAVI	
49.	100604	POOJA WANKHADE	
50.	100611	SATEESH NAGLE	PH
51.	100614	SHYAM KUMAR PATLE	
52.	100622	VAIDURYA MANI TIWARI	
53.	100646	RAJU AGRAWAL	
54.	100686	ASHOK DWIVEDI	PH
55.	100706	ANIL KUMAR PANDEY	
56.	100713	DAVENDRA CHIDAR	
57.	100718	DILIP PAWAR	
58.	100722	SAURABH SHIVA	
59.	100727	MAHESH UIKEY	
60.	100736	RAMESH RAWAT	
61.	100739	TEERATH RAJ KATRE	
62.	100740	RAMESH SOLANKI	
63.	100745	AMIT KUMAR MISHRA	
64.	100757	PUSHPA BHURIYA	
65.	100761	GAJENDRA SINGH DAWAR	
66.	100765	RATAN SINGAD	
67.	100776	KAMAL KANT PARASTE	
68.	100783	MAHESH KUMAR NAGPURE	
69.	100791	SATISH KUMAR MISHRA	
70.	100810	NUSRAT AHMAD	
71.	100813	SUMIT GUPTA	
72.	100821	KISHOR BHONDAYKER	
73.	100829	SWATI THAKUR	
74.	100872	JWELIKA VYAS	
75.	100879	MANJULA MAVI	PH

S.No.	Roll No.	Name	Remark
76.	100883	ISHA VERMA	
77.	100887	MUKESH WADIWAY	
78.	100890	RAKESH VERMA	
79.	100893	SUCHIE MATHUR	
80.	100915	ANIL NAGLE	
81.	100919	KRISHNA PATEL	
82.	100927	SANJAY KUMAR DHURWE	
83.	100941	PRADEEP KUMAR NAMDEO	
84.	100955	BABEETA SHEKHAR SHEKHAR	
85.	100967	TINU BHURIYA	
86.	100968	AJAY KUMAR MISHRA	
87.	100970	PRADEEP KUMAR JAYASWAL	
88.	100978	PANKAJ KUMAR WANKHADE	
89.	100979	SUBHASH NAWDE	
90.	101016	SHANKAR DAYAL VERMA	
91.	101030	JITENDRA SINGH TANWAR	
92.	101031	GAURAV TIWARI	
93.	101055	VINITA TIMRAI	
94.	101074	DINESH SINGH DUDWE	
95.	101075	AKLESH SOLANKI	
96.	101080	ANKITA BHALAVI	
97.	101090	BHUNESHVARI TEMBHARE	
98.	101092	RAMMANOHAR PAL	
99.	101100	SONAL SINGH TOMAR	
100.	101132	SOMVRAT PATEL	
101.	101141	PRAMILA BAGHEL	
102.	101145	RESHAM SULANKI	
103.	101153	SARMA DAVAR	
104.	101155	SURESH KUMAR KULASTE	
105.	101206	AAKANSHA PATEL	
106.	101226	GOVIND PAL	PH
107.	101233	SHANTILAL NINAMA	
108.	101234	PAWAN MASKARE	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
109.	101246	RAVI TOMAR	
110.	101253	AKASH AHIRWAR	
111.	101254	DEVENDRA SAHU	
112.	101271	MEJOR SINGH JAMRA	
113.	101282	URVASHI GONDGE	
114.	101290	RICHA GAUTAM	
115.	101348	RAVI PATEL	
116.	101352	PURUSHOTTAM BAIRAGI	
117.	101376	SHARTENDU SAURABH	
118.	101378	SUJAN SINGH LODHI	
119.	101384	ABHINEET NARAYAN	
120.	101389	SHIVA KUMAR	
121.	101391	REKHA BANSKAR	
122.	101397	ASHISH PALIWAL	
123.	101420	NIRMALA JAT	
124.	101433	SUMEET SISODIA	
125.	101434	RAVI RAWAL	PH
126.	101452	JYOTI KHARADI	
127.	101454	VANDITA PRAJAPATI	
128.	101456	TINU BHAGHEL	
129.	101462	SHIVAM YADAV	
130.	101469	VIKAS SULIYA	
131.	101472	ALOK KUMAR AGRAWAL	
132.	101514	SACHIN DAWAR	
133.	101542	SHRIVANTI PARTE	
134.	101560	PREETI PANDEY	
135.	101566	KHUSHBOO VERMA	
136.	101580	PAWAN KUMAR SINGH	
137.	101584	GENDARAM AHIRWAR	
138.	101596	MOHAMMAD SHAHID	
139.	101602	NARENDRA KUMAR KURMI	
140.	101605	GAJENDRA KUMAR BORKAR	
141.	101609	MAHIPAL SOLANKI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
142.	101611	SARITA PRAKASH	
143	101617	SURESH SINGH	
144.	101633	PINKI CHOWHAN	
145.	101634	RAKHI SOLIYA	
146.	101652	SHANKAR KANESH	
147.	101662	BHAVNA DHAULPURI	
148.	101665	KANYA SOLANKI	
149.	101668	PRIYANKA AJNAR	
150.	101683	ZUBERIYA QUERAISHI	
151.	101714	SACHIN KUMAR	
152.	101725	SEEMA NAGWANSHI	
153.	101735	MONU PRASAD PATEL	
154.	101736	ARCHANA CHOUDHARY	
155.	101741	SOURABH BANKEY	
156.	101779	AVANISH DUBEY	
157.	101795	RAJESH SETHIYA	PH
158.	101798	VINITA CHOUREY	
159.	101799	AHMAD KHAN	
160.	101801	KANCHANA MANESHWAR	
161.	101803	PRIYANKA ADHIKARI	
162.	101810	PRIYANKA MISHRA	
163.	101812	AKASH DANDEKER	
164.	101822	SHIVPRASAD SONWANE	
165.	101825	DHEERAJ KANUNGO	
166.	101838	VED NARAYAN YADAV	
167.	101839	TARIKA BAMNIYA	
168.	101851	SONAM YADAV	
169.	101857	BHUPENDRA SINGH KACHHWAY	
170.	101859	DEEPTI SHUKLA	
171.	101863	SANDESH PIPLODIYA	
172.	101868	DIWAKAR CHATURVEDI	
173.	101885	SUREKHA VISHWAKARMA	
174.	101888	NEHA TODAWAL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
175.	101890	RAMAKANT TIWARI	
176.	101907	SANJEEV KUMAR	
177.	101911	AJAY CHOGANE	
178.	101938	HITESH KUMAR BISEN	
179.	101942	ARTI SINGH	
180.	101950	AKANKSHA SAHU	
181.	101951	RANJANA TOMAR	
182.	101979	PAISNEE PATEL	
183.	102120	SANTOSH KUMAR SURYAVANSHI	
184.	102127	YOGENDER KUMAR MISHRA	
185.	102128	MANOJ KUMAR DHURVE	
186.	102510	ANIL NAGWANSHI	
187.	102604	PRABHAT KUMAR PATTA	
188.	102693	ARUN DHABAKE	

महत्वपूर्ण टीप:—1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जायेंगे.

2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 से आयोजित होंगे.

3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

श्रीकृष्ण शर्मा,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद

प्र. क्र.1-बी/113(1)वर्ष 2012-13. दिनांक 29 जुलाई, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

क्र. /री/2013.—जैसा की श्री ठाकुर जी मंदिर ट्रस्ट ग्राम नवलगांव, तहसील सिवनी मालवा, प्रबंधक संतोष सिंह ठाकुर, आ. किशनसिंह ठाकुर, निवासी नवलगांव एवं न्यासी सदस्य कैलाशसिंह राजपूत, आ. श्री कोदरसिंह राजपूत, निवासी नवलगांव, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 31 अगस्त, 2013 को विचार किया जावेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो यदि कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष पेशी दिनांक 31 अगस्त, 2013 को उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

प्रकाशसिंह चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी.

(437)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास

देवास, दिनांक 25 जुलाई, 2013

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./ /रीडर-1/13.—अध्यक्ष श्री उमरावसिंह पटेल, निवासी ग्राम बैरागढ़, तहसील एवं जिला देवास, द्वारा "क्षत्रीय कलौता समाज छात्रावास एवं पारमार्थिक ट्रस्ट", देवास के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूप रेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में चालान क्रमांक 8, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला, शाखा देवास, में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अत: "क्षत्रीय कलौता समाज छात्रावास एवं पारमार्थिक ट्रस्ट", देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 25 अगस्त, 2013 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 25 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(438)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

रा. प्र. क्र. 127 बी/121 वर्ष 2012-13 जारी, दिनांक 08 अगस्त, 2013

मौजा नौराज प.ह.नं.-44,.

आधार सिंह पिता गजराज सिंह लोधी,
निवासी ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, म. प्र. .....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक आधार सिंह पिता गजराज सिंह लोधी, निवासी ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, द्वारा मौजा ग्राम नौराज में स्थित देव जानकी रमण मंदिर जो ट्रस्ट पंजी क्रमांक 06, ब पर पंजीकृत है. आवेदक द्वारा नवीन समिति के पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र तथा चालान की प्रति पेश की है. मंदिर के नाम मौजा नौराज में खसरा नंबर 7, 9, 16, 187, 546, 550, 551, 554, 175 रकबा क्रमशः 1.80, 0.29, 0.26, 0.97, 0.15, 0.15, 0.05, 0.29, 1.47 कुल रकबा 5.43 हे. भूमि मंदिर के नाम दर्ज है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर हैं. उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर पंजीयन हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जो निम्नानुसार है :—

तालिका

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम	निवास का पता
1.	श्री आधार सिंह पिता गजराज सिंह लोधी	अध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
2.	श्री मलखान सिंह पिता हिम्मत सिंह लोधी	उपाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
3.	श्री मजबूत सिंह पिता सुकमन सिंह लोधी	सचिव	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
4.	श्री देवेन्द्रसिंह पिता गजराज सिंह लोधी	कोषाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
5.	श्री रतन सिंह पिता हल्काई लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
6.	श्री परषोत्तम पिता रामाप्रसाद पटैरिया	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
7.	श्री विजयन्त सिंह पिता दौलत सिंह लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
8.	श्री दुरगसिंह पिता भगुन्तसिंह लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
9.	श्री गोपाल पिता सीताराम ब्राम्हण	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
10.	श्री इमरत पिता हरप्रसाद ब्राम्हण	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़

उक्त मंदिर समिति के गठन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सक्षम में स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जावेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न ही सुनवाई की जावेगी.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 31 अगस्त, 2013.

(439)

जारी, दिनांक 08 अगस्त, 2013

प्रारूप-पाँच

रा. प्र. क्र. 170 बी/121 वर्ष 2012-13 [नियम-5 (1) देखिये] मौजा नौराज प.ह.नं.-44,.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम -5 का उपनियम (1)देखिए]

लोक न्यास के पंजीयक बण्डा, जिला सागर के समक्ष— क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, नारायण सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक .....अगस्त, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5, की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता तथा पंजीयन क्रमांक व सम्पत्ति का वर्णन श्री देव जानकी रमण मंदिर, ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़, जिला सागर की सम्पत्ति का विवरण मंदिर के नाम मौजा नौराज प. ह. नं.-44, में स्थित भूमि खसरा नंबर 7, 9, 16, 187, 546, 550, 551, 554, 175 रकबा क्रमश: 1.80, 0.29, 0.26, 0.97, 0.15, 0.15, 0.05, 0.29, 1.47 कुल रकबा 5.43 हे. भूमि मंदिर के नाम दर्ज है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर हैं.

नवीन समिति पंजीयन कराये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव :-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम	निवास का पता
1.	श्री आधार सिंह पिता गजराज सिंह लोधी	अध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
2.	श्री मलखान सिंह पिता हिम्मत सिंह लोधी	उपाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
3.	श्री मजबूत सिंह पिता सुकमन सिंह लोधी	सचिव	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
4.	श्री देवेन्द्रसिंह पिता गजराज सिंह लोधी	कोषाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
5.	श्री रतन सिंह पिता हल्काई लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
6.	श्री परषोत्तम पिता रामाप्रसाद पटैरिया	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
7.	श्री विजयन्त सिंह पिता दौलत सिंह लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
8.	श्री दुरगसिंह पिता भगुन्तसिंह लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
9.	श्री गोपाल पिता सीताराम ब्राम्हण	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़
10.	श्री इमरत पिता हरप्रसाद ब्राम्हण	सदस्य	ग्राम नौराज, तह. शाहगढ़

उक्त मंदिर समिति के गठन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सक्षम में स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जावेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न ही सुनवाई की जावेगी.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 31 अगस्त, 2013.

नारायण सिंह ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(439-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2013 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं. जो पशु स्वामी, चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	आर. डी. एफ., बागदरा फाल्या (लेखड़ा)	1160	2007-08	50.00
2.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1176	-,,-	50.00
3.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलवारा	1173	-,,-	50.00
4.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1151	-,,-	50.00
5.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1161	-,,-	50.00
6.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1163	-,,-	50.00
7.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, चैरवी	1184	-,,-	50.00
8.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1164	-,,-	50.00
9.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1162	-,,-	50.00
10.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, उमरबाडी	1163	-,,-	50.00
11.	-,,-	चारागाह विकास, रणकुई	1074	-,,-	50.00
12.	-,,-	चारागाह विकास, गुराडा फलिया	1068	-,,-	50.00
13.	-,,-	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,,-	50.00
14.	-,,-	चारागाह विकास, आसोडा	1075	-,,-	50.00
15.	राजपुर	चारागाह विकास, मंडवाडी	1011	-,,-	50.00
16.	-,,-	चारागाह विकास, सगाई मोडी	1029	-,,-	50.00
17.	-,,-	चारागाह विकास, अघोई माल	1028	-,,-	50.00
18.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	1031	-,,-	50.00
19.	-,,-	चारागाह विकास, मुडिया फल्या	1027	-,,-	50.00
20.	-,,-	चारागाह विकास, दानोद (डाबरिया फाल्या)	1022	-,,-	50.00
21.	,,	चारागाह विकास, डाबरिया फाल्या बोबलवाडी	1022	-,,-	50.00

1	2	3	4	5	6
22.	राजपुर	चारागाह विकास, डाकर कुण्ड	1024	2007-08	50.00
23.	-,,-	चारागाह विकास, घमोडी	1034	-,,-	50.00
24.	बड़वानी	चारागाह विकास, नागली फल्या	1037	-,,-	50.00
25.	-,,-	चारागाह विकास, सेमल्या खोदरा	1038	-,,-	50.00
26.	-,,-	चारागाह विकास, अमनई आमल्या पानी	1044	-,,-	50.00
27.	-,,-	चारागाह विकास, घाबाबावडी	1039	-,,-	50.00
28.	-,,-	चारागाह विकास, मालफल्या	1058	-,,-	50.00
29.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	1056	-,,-	50.00
30.	-,,-	चारागाह विकास, बोम्या	1080	-,,-	50.00
31.	-,,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	1054	-,,-	50.00
32.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	1082	-,,-	50.00
33.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भामटा	1087	-,,-	50.00
34.	पाटी	भू-जल संरक्षण, मगरपाटी	1083	-,,-	50.00
35.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नेवा	1105	-,,-	50.00
36.	-,,-	भू-जल संरक्षण, सेमली	1094	-,,-	50.00
37.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,,-	50.00
38.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	1109	-,,-	50.00
39.	-,,-	भू-जल संरक्षण, गाताबारा	1107	-,,-	50.00
40.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	1120	-,,-	50.00
41.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरफल्या	1122	-,,-	50.00
42.	-,,-	भू-जल संरक्षण, घोघंसा	1128	-,,-	50.00
43.	-,,-	भू-जल संरक्षण, ग्वाल फल्या	1127	-,,-	50.00
44.	-,,-	भू-जल संरक्षण, खैरवानी	1130	-,,-	50.00
45.	-,,-	भू-जल संरक्षण, लिम्बया फाल्या	1155	-,,-	50.00
46.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोट बांधनी	1155	-,,-	50.00
47.	-,,-	भू-जल संरक्षण, लाई झापी	1124	-,,-	50.00
48.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भादल	1142	-,,-	50.00
49.	-,,-	भू-जल संरक्षण, उमरखेड़ा	11231	-,,-	50.00
50.	-,,-	भू-जल संरक्षण, खैरवानी	1150	-,,-	50.00
51.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
52.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1169	-,,-	50.00
53.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1173	-,,-	50.00

1	2	3	4	5	6
54.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलवारा	1173	2007-08	50.00
55.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, उमरबाडी	1163	-,,-	50.00
56.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1163	-,,-	50.00
57.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषर	1178	-,,-	50.00
58.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1178	-,,-	50.00
59.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1150	-,,-	50.00
60.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1161	-,,-	30.00
61.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1272	-,,-	20.00
62.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, चिचवान्या	1247	-,,-	15.00
63.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1257	-,,-	30.00
64.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, पिपरकुंड	1235	-,,-	50.00
65.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	1228	-,,-	20.00
66.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1239	-,,-	50.00
67.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1241	-,,-	40.00
68.	बड़वानी	चारागाह विकास, मरदई, गोलबावडी	1289	-,,-	50.00
69.	-,,-	चारागाह विकास, फफरियागुलर	1282	-,,-	35.00
70.	-,,-	चारागाह विकास, केली ए	1280	-,,-	50.00
71.	-,,-	चारागाह विकास, केली बी	1280	-,,-	50.00
72.	-,,-	चारागाह विकास, सुखपुरी	1288	-,,-	50.00
73.	पाटी	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,,-	40.00
74.	-,,-	चारागाह विकास, ओसाडा	1074	-,,-	30.00
75.	-,,-	चारागाह विकास, रणकुईपीठा	1076	-,,-	25.00
76.	-,,-	चारागाह विकास, नेवा	1104	-,,-	35.00
77.	-,,-	चारागाह विकास, टपकला	1070	-,,-	60.00
78.	बोकराटा	चारागाह विकास, चिचवान्या	1252	-,,-	25.00
79.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	1209	-,,-	40.00
80.	-,,-	चारागाह विकास, पोखल्या	1276	-,,-	50.00
81.	राजपुर	चारागाह विकास, डोकरकुंड	1024	-,,-	50.00
82.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	1030	-,,-	50.00
83.	-,,-	चारागाह विकास, धमोडी	1031	-,,-	50.00
84.	-,,-	चारागाह विकास, धमोडी	1032	-,,-	50.00
85.	-,,-	चारागाह विकास, जलगोन	1003	-,,-	50.00
86.	-,,-	चारागाह विकास, रोझानी	1015	-,,-	25.00

1	2	3	4	5	6
87.	ठीकरी	चारागाह विकास, ठीकरी	993	2007-08	70.00
88.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,,-	50.00
89.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,,-	50.00
90.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	994	-,,-	50.00
91.	-,,-	चारागाह विकास, सेगवाल	997	-,,-	50.00
92.	-,,-	चारागाह विकास, हसनखेडी	998	-,,-	40.00
93.	पाटी	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा (बाराफल्या-ए)	1126	-,,-	65.00
94.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा (बाराफल्या-बी)	1126	-,,-	70.00
95.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी	1110	-,,-	50.00
96.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा-1	1126	-,,-	55.00
97.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा-2	1126	-,,-	60.00
98.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, कुली	1122	-,,-	50.00
99.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,,-	50.00
100.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, कोटबांधनी	1139	-,,-	50.00
101.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी (पलासपानी)	1109	-,,-	50.00
102.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी (गाताबारा)	1110	-,,-	50.00
103.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, कुली (गुवानफल्या)	1122	-,,-	50.00
104.	-,,-	भू एवं जल संरक्षण, आमल्याफल्या	1143	-,,-	30.00
105.	-,,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	1151	-,,-	50.00
106.	-,,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	1169	-,,-	50.00
107.	-,,-	आर. डी. एफ., गोलगांव	1173	-,,-	50.00
108.	-,,-	आर. डी. एफ., बिलबारा	1173	-,,-	50.00
109.	-,,-	आर. डी. एफ., उमरबाडी	1163	-,,-	50.00
110.	-,,-	आर. डी. एफ., लेखडा	1163	-,,-	50.00
111.	-,,-	आर. डी. एफ., रोषर	1178	-,,-	50.00
112.	-,,-	आर. डी. एफ., कामोद	1178	-,,-	50.00
113.	-,,-	आर. डी. एफ., गोलगांव	1150	-,,-	50.00
114.	-,,-	आर. डी. एफ., जीवाणी	1161	-,,-	30.00
115.	बोकराटा	आर. डी. एफ., रोषमाल	1272	-,,-	20.00
116.	-,,-	आर. डी. एफ., चिचवानिया	1247	-,,-	15.00
117.	-,,-	आर. डी. एफ., मोरानी	1257	-,,-	30.00

1	2	3	4	5	6
118.	बोकराटा	आर. डी. एफ., पीपरकुंड	1219	2007-08	40.00
119.	-,,-	आर. डी. एफ., पीपरकुंड	1235	-,,-	50.00
120.	-,,-	आर. डी. एफ., मरतकुंड	1228	-,,-	20.00
121.	-,,-	आर. डी. एफ., बोकराटा	1239	-,,-	50.00
122.	-,,-	आर. डी. एफ., बोकराटा	1241	-,,-	40.00
123.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई, गोलबावडी	1289	-,,-	50.00
124.	बडवानी	चारागाह विकास, फफरियागुलर	1282	-,,-	35.00
125.	-,,-	चारागाह विकास, केली-ए	1280	-,,-	50.00
126.	-,,-	चारागाह विकास, केली-बी	1280	-,,-	50.00
127.	-,,-	चारागाह विकास, सुखपुरी	1288	-,,-	50.00
128.	पाटी	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,,-	40.00
129.	-,,-	चारागाह विकास, ओसाडा	1074	-,,-	30.00
130.	-,,-	चारागाह विकास, रनकुई	1076	-,,-	25.00
131.	-,,-	चारागाह विकास, नेवा	1104	-,,-	35.00
132.	-,,-	चारागाह विकास, टपकला	1070	-,,-	60.00
133.	बोकराटा	चारागाह विकास, चिचवान्या	1252	-,,-	25.00
134.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	1209	-,,-	40.00
135.	-,,-	चारागाह विकास, पोखल्या	1276	-,,-	50.00
136.	राजपुर	चारागाह विकास, डोकरकुंड	1024	-,,-	50.00
137.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	1030	-,,-	50.00
138.	-,,-	चारागाह विकास, धमोडी	1031	-,,-	50.00
139.	-,,-	चारागाह विकास, धमोडी	1032	-,,-	50.00
140.	-,,-	चारागाह विकास, जलगोन	1003	-,,-	50.00
141.	-,,-	चारागाह विकास, रोझानी	1015	-,,-	25.00
142.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,,-	70.00
143.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,,-	50.00
144.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,,-	50.00
145.	-,,-	चारागाह विकास, ठीकरी	994	-,,-	50.00
146.	-,,-	चारागाह विकास, सेगवाल	997	-,,-	50.00
147.	-,,-	चारागाह विकास, हसनखेडी	998	-,,-	40.00
148.	पाटी	भू-जल संरक्षण, घाधसा ग्वालफाल्या-ए	1126	-,,-	65.00

1	2	3	4	5	6
149.	पाटी	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-बी	1126	2007-08	70.00
150.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	1110	-,,-	50.00
151.	-,,-	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-1	1126	-,,-	55.00
152.	-,,-	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-2	1126	-,,-	60.00
153.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	1122	-,,-	50.00
154.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,,-	50.00
155.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोट बांधनी	1039	-,,-	50.00
156.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी (पलासपानी)	1109	-,,-	50.00
157.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी गाताबारा	1110	-,,-	50.00
158.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली (गुवानफल्या)	1122	-,,-	50.00
159.	-,,-	भू-जल संरक्षण, आमल्याफल्या	1143	-,,-	30.00
160.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	2008-09	50.00
161.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1151	-,,-	50.00
162.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषर	1181	-,,-	50.00
163.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	50.00
164.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, चेरवी	1164	-,,-	50.00
165.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1164	-,,-	50.00
166.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1173	-,,-	50.00
167.	-,,-	आदिवासी उपयोजना, बिलबारा	1173	-,,-	50.00
168.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1169	-,,-	50.00
169.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1169	-,,-	50.00
170.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	-,,-	40.00
171.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
172.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1158	-,,-	50.00
173.	राजपुर	वृक्षा रोपण राजपुर, जलगोन	1003	-,,-	45.00
174.	-,,-	वृक्षा रोपण राजपुर, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
175.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	1181	-,,-	30.00
176.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,,-	35.00
177.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	65.00
178.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,,-	110.00

1	2	3	4	5	6
179.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1247	2009-10	20.00
180.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	1274	-,,-	20.00
181.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1259	-,,-	50.00
182.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	40.00
183.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, पीपरकुण्ड	1219	-,,-	50.00
184.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1231	-,,-	50.00
185.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1232	-,,-	30.00
186.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, भूरवानी	1190	-,,-	50.00
187.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	1246	-,,-	50.00
188.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	65.00
189.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	75.00
190.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1261	-,,-	70.00
191.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	50.00
192.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	100.00
193.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, भानिजकुण्ड	1261	-,,-	40.00
194.	राजपुर	मिश्रित रोपण, बोबलवाडी	1004	2010-11	25.00
195.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, बिलवारा	1172	-,,-	51.15
196.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	45.89
197.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, सागबारा	1157	-,,-	69.81
198.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मेंढकीमाल	1162	-,,-	51.76
199.	बोकराटा	बिगड़े वनों में सुधार, बेडीफरतला	1178	-,,-	69.71
200.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, बन	1214	-,,-	49.78
201.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, रामगढ	1259	-,,-	37.74
202.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, देवगढ	1240	-,,-	47.93
203.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, बोरकुंड	1187	-,,-	70.80
204.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मोरानी	1244	-,,-	71.43
205.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, झरार	1229	-,,-	54.53
206.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मतरकुंड	1226	-,,-	33.91
207.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, हाटबावडी	1261	-,,-	58.88

1	2	3	4	5	6
208.	बडवानी	उर्जावन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	1039	2010-11	10.00
209.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	1066	-,,-	10.00
210.	पाटी	उर्जावन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	20.00
211.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, कुली घोंघसा	127	-,,-	20.00
212.	बोकराटा	उर्जावन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
213.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, हरला	203	-,,-	10.00
214.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
215.	राजपुर	उर्जावन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-,,-	10.00
216.	बोकराटा	उर्जावन एवं चारागाह विकास, पिपरकुंड	231	-,,-	10.00
217.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, चोकी	211	-,,-	10.00
218.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, हाटबावडी	279	-,,-	10.00
219.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीवाडी	259	-,,-	10.00
220.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, शिवनी	226	-,,-	10.00
221.	राजपुर	ओंकारेश्वर निधि, कुसमरी	1003	-,,-	28.00
222.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, बोबलवाडी	1004	-,,-	19.00
223.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, ठीकरी	993	-,,-	23.00
224.	पाटी	भूमि संरक्षण योजनाएं, मगरपाटी	88	-,,-	50.00
225.	राजपुर	मिश्रीत वृक्षारोपण, दानौद	1021	-,,-	30.00
226.	-,,-	मिश्रीत वृक्षारोपण, खडकी	P-329	-,,-	50.00
227.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
228.	-,,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,,-	56.57
229.	-,,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,,-	57.57
230.	-,,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,,-	51.34
231.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बेडीफरतला	183/2	-,,-	46.74
232.	-,,-	आर. डी. एफ., बोरकुंड	192/2	-,,-	47.75
233.	-,,-	आर. डी. एफ., मतरकुंड	231/2	-,,-	42.49
234.	-,,-	आर. डी. एफ., मोरानी	249/2	-,,-	22.50
235.	-,,-	आर. डी. एफ., रामगढ	264/2	-,,-	49.10
236.	-,,-	आर. डी. एफ., बन	219/2	-,,-	42.50
237.	-,,-	आर. डी. एफ., हाटबावड़ी	266/2	-,,-	55.02
238.	-,,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,,-	37.90
239.	-,,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,,-	50.33

1	2	3	4	5	6
240.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	2011-12	48.34
241.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	42.53
242.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	57.99
243.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	46.91
244.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,,-	60.70
245.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,,-	56.05
246.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	58.84
247.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.47
248.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	45.02
249.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	41.56
250.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,,-	60.65
251.	बड़वानी	चारागाह विकास, बावनगजा	72 II	-,,-	79.98
252.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	295 III	-,,-	51.33
253.	-,,-	चारागाह विकास, केली	284 II	-,,-	56.17
254.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60 II	-,,-	47.61
255.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.86
256.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	56.67
257.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	41	-,,-	54.82
258.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	61.21
259.	पाटी	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.66
260.	बोकराटा	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	39.81
261.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	32.68
262.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	50.93
263.	राजपुर	चारागाह विकास, उपला	31	-,,-	59.80
264.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	36	-,,-	34.71
265.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	57.32
266.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	1	-,,-	35.00
267.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
268.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
269.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सगाईमोडी	15	-,,-	40.00
270.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानोद	27	-,,-	30.00

1	2	3	4	5	6
271.	राजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	329	2011-12	50.00
272.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	25.00
273.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, जलगोन	1003	-,,-	45.00
274.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
275.	पाटी	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
276.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,,-	50.00
277.	बड़वानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	10.00
278.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	10.00
279.	पाटी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	10.00
280.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,,-	20.00
281.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
282.	बोकराटा	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,,-	10.00
283.	पाटी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
284.	राजपुर	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, दानोद	27	-,,-	10.00
285.	बोकराटा	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,,-	10.00
286.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	-,,-	10.00
287.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,,-	10.00
288.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,,-	10.00
289.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,,-	10.00
290.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2012-13	68.34
291.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	44.98
292.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	41.96
293.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	162	-,,-	44.02
294.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	36.49
295.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	192	-,,-	46.92
296.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	57.60
297.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	64.75
298.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	55.66
299.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ़	245	-,,-	43.77
300.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	23.73

1	2	3	4	5	6
301.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	2012-13	58.23
302.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	55.00
303.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	72.17
304.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	37.71
305.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	63.22
306.	पाटी	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	51.98
307.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,,-	51.83
308.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,,-	47.75
309.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	50.46
310.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.23
311.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	54.26
312.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	55.85
313.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,,-	46.73
314.	बड़वानी	चारागाह विकास, गोठानिया	41	-,,-	84.41
315.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	62.11
316.	-,,-	चारागाह विकास, राजवानी	56	-,,-	41.12
317.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	102.57
318.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,,-	50.82
319.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसभा	67	-,,-	65.84
320.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	59.43
321.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	63.17
322.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	51.03
323.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	49.47
324.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	29.65
325.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	65.81
326.	-,,-	चारागाह विकास, नागलवाड़ी	36	-,,-	83.61
327.	-,,-	चारागाह विकास, खडक्यामऊ	31	-,,-	48.12
328.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	55.39

मनोज अर्गल,

(440) वनमण्डल अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा

शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परि./2013/142, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, कमल कुमार कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करे. उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

कमल कुमार कांगले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(441)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/677.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिछोर	2188/09-11-1954	584/13-07-2010	श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(442)

शिवपुरी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/678.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरवारा	165/26-02-1987	581/13-07-2010	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(442-A)

शिवपुरी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/679.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	हम्माल मजदूर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	486/05-12-2003	1376/30-11-2011	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(442-B)

शिवपुरी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/680.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निचरौली	161/30-01-1987	583/13-07-2010	श्री उमेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(442-C)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., दिदवारा	178/29-09-1961	24/15-01-2013
2.	खनिज कर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरिहार	780/11-07-1995	24/15-01-2013
3.	गजानन विप सहकारी समिति मर्या., ईशानगर	843/27-03-1999	24/15-01-2013
4.	आम्रपाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., छतरपुर	824/15-04-1998	24/15-01-2013
5.	माँ काली नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	1164/30-06-2008	24/15-01-2013
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरद्वाहा	974/12-01-2004	24/15-01-2013
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढडारी	928/22-04-2002	24/15-01-2013
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मालपुर	1185/26-08-2008	24/15-01-2013
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरा	1125/09-10-2007	24/15-01-2013
10.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सलैया	938/26-09-2002	24/15-01-2013
11.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुकवां	935/01-07-2002	24/15-01-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एन. एस. अग्रवाल,
सहकारी निरीक्षक.

(443)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 25 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/396.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./562, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था संजय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 08 सितम्बर, 1981 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री ठाकुर प्रसाद, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए संजय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 08 सितम्बर, 1981 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444)

सतना, दिनांक 25 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/397.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1113, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था माँ काली महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर, वि. खं. सोहावल, पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 19 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री रमेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए माँ काली महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर, वि. खं. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 19 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444-A)

सतना, दिनांक 25 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/398.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./563, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था ओम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना,

पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 08 सितम्बर, 1981 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री ठाकुर प्रसाद, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए ओम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 08 सितम्बर, 1981 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444-B)

सतना, दिनांक 25 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/403.—महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, वार्ड क्र. 14, कृपालपुर, पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 है, के आदेश क्रमांक 1907, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 से परिसमापन में लाया जाकर श्री घनश्याम पांण्डेय, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1907, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत महिला प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., कृपालपुर का पंजी. क्रमांक 140, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :—

1.	श्रीमती बविता उपाध्याय	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कुसूम सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रामकली कोल	सदस्य
4.	श्रीमती उमा सोनी	सदस्य
5.	श्रीमती विद्यावती	सदस्य
6.	श्रीमती अंजू तिवारी	सदस्य
7.	श्रीमती प्रेमा सिंह	सदस्य
8.	श्रीमती सरिता सिंह	सदस्य
9.	श्रीमती किरण सिंह	सदस्य
10.	श्रीमती चन्दा सिंह	सदस्य
11.	श्रीमती ज्योति रैकवार	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

(444-C)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला रीवा

दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित कर उससे सम्बद्ध कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से जिले में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां रजिस्ट्रीकृत की गई है लेकिन दुग्ध संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न समितियों द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है. परिणामस्वरूप जिन प्रयोजनों के लिए उक्त सोसाइटियां रजिस्ट्रीकृत की गई हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक रजिस्टार, सहकारी सोसायटीज, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) (1) के अन्तर्गत निम्न सोसाइटियों के प्रमुख संप्रवर्तक संचालक मण्डल व उसके सदस्यों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित करता हूं कि क्यों न उनकी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाए? यदि इस सम्बन्ध में उनको जो कुछ कहना है तो यह सूचना प्रकाशित होने के तीस दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में कार्यालयीन समय व दिवस में साक्ष्य अभिलेख व दस्तावेज के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	सोसायटी का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	माँ सरस्वती दुग्ध सह. समिति मर्या., दुबगवॉ कुर्मियान	1086/17-01-2012	मऊगंज
2.	महिला दुग्ध सह. समिति मर्या., दुबगवाँ दुबान	1080/30-08-2011	मऊगंज
3.	प्रकाश दुग्ध सह. समिति मर्या., दुबगवाँ	1019/21-10-2010	मऊगंज
4.	महिला दुग्ध सह. समिति मर्या., बेलहा	1042/30-01-2011	मऊगंज
5.	शंकर दुग्ध सह. समिति मर्या.,रघुनाथगढ़	1085/12-11-2012	हनुमना

(445)

कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, रीवा

रीवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/621.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./345, दिनांक 05 मार्च, 2012 के द्वारा ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 27 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(446)

रीवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/622.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./657, दिनांक 04 मई, 2012 के द्वारा कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेलवा सुरसरी सिंह, तहसील रायपुरकर्चु, जिला रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 15 अगस्त, 1971 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. दुबे, स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. द्विवेदी,
सहायक पंजीयक.

(446-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमति उषा पचोरी, अध्यक्ष,

अंजली महिला बहु.सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

बीनापुर, खामखेडा, भोपाल.

अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./912, दिनांक 09 अगस्त, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमती चित्रलेखा, अध्यक्ष,

भगवती महिला बहु.सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—सेमरीकला, भोपाल.

भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./793, दिनांक 27 फरवरी, 1998 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमती मीना जोशी, अध्यक्ष,

पता—मंजू महिला बहु.सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोती, भोपाल.

श्रीमती मीना जोशी, ग्राम हिनोती.

मंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिनोती, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./962, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

बतरा महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

पता—E-3/53, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

बतरा महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./736, दिनांक 03 सितम्बर, 1994 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतुआ रतनपुर, भोपाल.

पता—ग्राम रतुआ रतनपुर, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतुआ रतनपुर, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./342, दिनांक .....(जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री रमेश पाटीदार, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीपड़ी, भोपाल.

पता—ग्राम दीपड़ी, तह. हुजूर, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीपड़ी, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./197, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूनाहा, भोपाल.

पता—श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ग्राम रूनाहा, तहसील वैरसिया, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूनाहा, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./261, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोहाया, भोपाल.

पता—अध्यक्ष तिलहन उत्पा. सह. संस्था सोहाया, तहसील वैरसिया.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोहाया, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./280, दिनांक 08 जुलाई, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री जेस सिंह, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भेसोंदा, भोपाल.

पता—श्री जेस सिंह ग्राम भेसोंदा, तह. वैरसिया, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भेसोंदा, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./260, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री जगन्नाथ सिंह, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वरखेडा नाथू, भोपाल.

पता—श्री जगन्नाथ सिंह, ग्राम वरखेडा नाथू, तह. हुजूर, भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./243, दिनांक 20 नवम्बर, 1985 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री बावूलाल, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तूमडा, भोपाल.

पता—श्री बावूलाल, ग्राम तूमडा, तह. हुजूर, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तूमडा, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./225, दिनांक 17 अक्टूबर, 1984 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री प्रेम नारायण पाटीदार, अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिसरोद, भोपाल.

पता—श्री प्रेम नारायण पाटीदार, ग्राम मिसरोद, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिसरोद, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./198, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमती ज्योति मीना, अध्यक्ष,

सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—ग्राम जमुसर खुर्द, जिला भोपाल.

सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./982, दिनांक 16 जून, 2004 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राहुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—ग्राम दिल्लोद, जिला भोपाल.

राहुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./906, दिनांक 26 मई, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—म.न. 137, आपका मंजिल, फिरोजनगर, वैरसिया रोड, भोपाल.

उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1065, दिनांक 08 जुलाई, 2005 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447- N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीरावाद, भोपाल.

पता—ग्राम व पोस्ट नजीरावाद, तहसील वैरसिया, जिला भोपाल.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीरावाद, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./279, दिनांक 08 जुलाई, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(447-O)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1988/1340, विदिशा, दिनांक 07 जून, 1988 से नगरपालिका कर्मचारी सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./154, दिनांक 18 अगस्त, 1970 को परिसमापन में लाया जाकर श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) ,सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा नगरपालिका कर्मचारी सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका कर्मचारी सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./154, दिनांक 18 अगस्त, 1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448)

विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/553, विदिशा दिनांक 10 मई, 2007 से नेहा बुनकर महिला कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./612, दिनांक 15 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल अहिरवार, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा नेहा बुनकर महिला कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेहा बुनकर महिला कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./612, दिनांक 15 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(448-A)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रेत खादान औद्यो. सहकारी संस्था, खुटाजा	925/23-02-1996	453/18-10-2012
2.	रेत खादान औद्यो. सहकारी संस्था, उमराली	784/05-03-1993	454/18-10-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटियाँ नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, प्रस्तुत न करने की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम)मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आई. डी. सर्राफ,
परिसमापक.

(449)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

क्र./स.आ.स.म./परि.2012.—अवतार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मण्डला, पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 11 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपमं/परिसमापन/2006/1219, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एल. के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकरी, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत उक्त समिति के पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अवतार गृह निर्माण, सहकारी समिति मर्या., मण्डला, पंजीयन क्रमांक-441, दिनांक 11 मार्च, 1987 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपमं/परिसमापन/2006/1219, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री एल. के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(450)

क्र./स.आ.स.म./परि.2012.—नर्मदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मण्डला, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपमं/परिसमापन/2006/1219, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एल. के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत उक्त समिति के पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नर्मदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मण्डला, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपमं/परिसमापन/2006/1219, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को निरस्त कर संस्था को

पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री एल. के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(450-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि./06/1472, बालाघाट, दिनांक 03 नवम्बर, 2006 के द्वारा श्रीराम विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डार, श्रीराम उ. मा. वि. रामपायली, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 नवम्बर, 1964 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में श्रीराम विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डार, श्रीराम उ. मा. वि. रामपायली, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 नवम्बर 1964, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रीराम विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डार, श्रीराम उ. मा. वि. रामपायली, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 नवम्बर, 1964, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डार, श्रीराम उ. मा. वि. रामपायली, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 नवम्बर 1964, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि./07/1302, बालाघाट, दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के द्वारा कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., बोदलकसा, पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., बोदलकसा, पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 29 सितम्बर 2000, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., बोदलकसा, पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., बोदलकसा, पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 29 सितम्बर 2000, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./विधि/816, बालाघाट, दिनांक 30 जून, 1999 के द्वारा सिंचाई सहकारी समिति मर्या., नाखंजपार, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 27 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में सिंचाई सहकारी समिति मर्या., नाखंजपार, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 27 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सिंचाई सहकारी समिति मर्या., नाखंजपार, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 27 जनवरी, 1973 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिंचाई सहकारी समिति मर्या., नाखंजपार, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 27 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./95/35, बालाघाट, दिनांक 24 जनवरी, 1995 के द्वारा श्रीराम सिंचाई सहकारी समिति मर्या., रामपायली, पंजीयन क्रमांक 231, दिनांक 22 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में श्रीराम सिंचाई सहकारी समिति मर्या., रामपायली, पंजीयन क्रमांक 231, दिनांक 22 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रीराम सिंचाई सहकारी समिति मर्या., रामपायली, पंजीयन क्रमांक 231, दिनांक 22 जनवरी 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम सिंचाई सह. समिति मर्या., रामपायली, पंजीयन क्रमांक 231, दिनांक 22 जनवरी, 1973, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./07/1247, बालाघाट, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 के द्वारा कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 06 मई, 2003, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 06 मई, 2003, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 06 मई, 2003, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 06 मई, 2003, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1070, बालाघाट, दिनांक 25 जुलाई, 2007 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गर्रा, पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गर्रा, पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गर्रा, पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गर्रा, पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/286, बालाघाट, दिनांक 07 मार्च, 2012 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मेहदुली, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मेहदुली, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मेहदुली, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मेहदुली, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./744, बालाघाट, दिनांक 23 जुलाई, 2011 के द्वारा प्रजापति कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 14 जुलाई, 1963, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रजापति कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 14 जुलाई, 1963, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रजापति कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 14 जुलाई, 1963, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रजापति कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 14 जुलाई, 1963, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(451-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 1 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./1785/परि./2013.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1411/ परिसमापन/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा दिया गया जवाब असंतोषजनक है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(452)

मंदसौर, दिनांक 1 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./1786/परि./2013.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आजाद मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., संजीत, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 10 फरवरी, 1964 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ 1412/परिसमापन/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आजाद मत्स्य सहकारी समिति मर्या., संजीत, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(452-A)

मंदसौर, दिनांक 1 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./1787/परि./2013.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जयदुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., रायपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 435, दिनांक 11 सितम्बर, 1987 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ 1410/परिसमापन/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जयदुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रायपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर, को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(452-B)

मंदसौर, दिनांक 1 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./1788/परि./2013.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 182, दिनांक 20 फरवरी,1968 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1409/परिसमापन/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री टी. आर. गुद्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(452-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 31 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ द्वारा निम्नांकित सहाकरी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, झुमका	836/19-04-1994	क्र./परि./13/77/10-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, फूलेडी	1045/22-09-2009	क्र./परि./13/77/10-05-2013

अत: में एस. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपर्युक्त तालिका के कॉलम 2 में वर्णित संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के प्रत्येक सोमवार को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. सी. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(428)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013-भाद्र 15, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 मई, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला मंदसौर, नीमच, बुरहानपुर, बैतूल व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल मूँग की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, राजगढ़, भोपाल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22 मई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, ज्वार,बाजरा, मक्का, तिल्ली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर-कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
***जिला दतिया :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर,राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मटर, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	. .	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		मसूर, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
***जिला अलीराजपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
7. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. मूँग की कटाई कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		अलसी, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	. .				
5. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) उड़द, मूँग,मूँगफली, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला दतिया, गुना, सतना, रीवा, अलीराजपुर, बड़वानी व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(435)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.